

राजस्थान सरकार  
वित्त विभाग  
(नियम अनुभाग)

प.1(1)वित्त/गुप-2/89


जयपुर, दिनांक

30 OCT 2018

स्पष्टीकरण

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5 अक्टूबर 2018 के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त आदेश में भूतलक्षी प्रभाव से लागू होने के संबंध में उल्लेख नहीं है। अतः आदेश दिनांक 05.10.2018 से पूर्व के प्रकरणों का निस्तारण उपार्जित अवकाश स्वीकृत कर किया जायेगा। उपार्जित अवकाश शेष नहीं होने पर प्रकरणों का निस्तारण असाधारण अवकाश स्वीकृत कर किया जायेगा। आदेश दिनांक 05.10.2018 एवं पश्चात्वर्ती प्रकरणों का निस्तारण उक्त आदेश के अनुसार ही किया जायेगा।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

  
(संजय राजपाल)


शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिवगण।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव।
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
9. उप निदेशक (सांख्यिकी), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
10. समस्त कोषाधिकारी।
11. प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-7) विभाग (7 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
12. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल)।
13. समस्त अनुभाग, शासन सचिवालय।
14. रक्षित पत्रावली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर ।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।

  
(महेन्द्र सिंह भूकर)  
30/10/2018.  
संयुक्त शासन सचिव-1, वित्त

R.S.R. 33/2018.